शुद्धि–पत्र

संख्या–4627/सैंतीस–2–2013–1(45)/12टी.सी.

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
उपसचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पशुधन अनुभाग–2

लखनऊः दिनांक–24 दिसम्बर, 2013

विषयः– उ. प्र. कुक्कुट विकास नीति, 2013 के अन्तर्गत प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना हेतु उद्यमी द्वारा उ. प्र. जमीदारी विनाश अधिनियम–1950 की धारा–143 के अन्तर्गत स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र दिये जाने पर प्राथमिकता पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4473/सैंतीस–2–2013–1(45)/12टी.सी., दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– शासन के उक्त पत्र दिनांक 10–12–2013 के विषय एवं प्रस्तर–2 व 3 में त्रुटिवश उ. प्र. जमीदारी विनाश अधिनियम–1952 की धारा–143 अंकित हो गया है, जिसके स्थान पर **उ. प्र. जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 की धारा–143** पढ़ा जाय।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
उपसचिव।

संख्या– (1)/सैंतीस–2–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक, पशुपालन विभाग, उ. प्र., लखनऊ।
(2) समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अमर सेन सिंह)
उपसचिव।